तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस ... में जारी ...
11/2/20 [signature] वा०	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष स्वयं पत्रावली में तहसीलदार, बेगू द्वारा अपने पत्रक्रमांक/36 दि० 27/1/20 के साथ फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय पर्चा बंटवारा व नक्शा ट्रेस के साथ संलग्न कर प्रेषित की है। प्राप्त रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की बहस को सुना गया। अधिवक्तागण द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर कर हस्ताक्षर अंकित किये गये। अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53-188 RTA के मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट संलग्न स्वीकार किया जाकर वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज्ञाप्ति डिक्री तैयार कर आज्ञाप्ति की गई। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से खारिज हो। [signature] 11/2/2020	हुक्म बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है [signature] व वादी [signature] व- प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 119/2011

जमनालाल पिता मांगीलाल जी ब्राम्हण निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल ब्रामहण निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
2. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री विजय भारद्वाज
अधिवक्ता वादी
श्री बी.के. भट्ट
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 10.07.2019

निर्णय वाद अ.धा. 53–88–188 राज.टी.एक्ट

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री वी.के. भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा डेकडीखेडा प.ह. राजगढ तहसील बेगूँ में निम्न आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीसं0 1 के संयुक्त खातेदारी क से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसका विवरण निम्न है:

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
37	0.20
45	0.09
569	0.83
584	0.11
587	0.48
596	0.20
किता–6	1.91 हैक्टर

वर्णित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पैतृक स्वामित्व एवं संयुक्त खातेदारी हक की है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीसं0 1 का 1/2–1/2 हक एवं हिस्सा निहित है। हिस्सानुसार विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपस में सीमा व लगान को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य निहित हक हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन कराये जाने की की घोषणा हेतु वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है। साथ ही वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य हिस्सानुसार मौके पर विभाजन किये जाने के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह वादी की उक्त 1/2 हक व हिस्से में किसी भी प्रकार की उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नही करें एव न ही अन्य किसी अपने नौकर ,एजेण्ट, रिश्तेदार आदि से दखलंदाजी करावें। यह कि दिनांक 15.09.2011 को वादी ने

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 को तहसील में चलकर विभाजन कराने की कहा तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान में निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:

1. कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा डेकडीखेडा प0ह0 राजगढ की आराजी संख्या 37, 45, 569, 584, 587, 596 कुल किता–6 कुल रकबा 1.91 हैक्टर आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य निहित हक हिस्सा 1/2–1/2 अनुसार घोषणा किये जाने एवं अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति फरमाई जावें।
2. कि बाद विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 का खाता अलग अलग किये जानेकी आज्ञप्ति फरमाई जावें।
3. कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य मौके पर विभाजन किये जाने के पश्चात प्रतिवादीसं 01 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी के हिस्से में एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें व नहीं अपने किसी नौकर,एजेण्ट, रिश्तेदार आदि से करावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के. भट्ट द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में निवेदन किया कि आज से लगभग 10–11 वर्ष पूर्व वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य में एक लिखित पारिवारिक समझौता आपसी सहमति से निष्पादित किया गया था। जिसके अनुसार कुंआ, माल नानी समस्त जगह प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से मे रखी गई एवं खरडी वाला कुंआ नामी समस्त जगह वादी के हक हिस्से में रखी थी जिस अनुसार ही आज से 10–11 वर्ष पूर्व से ही वादी व प्रतिवादी संख्या एक काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा वादी तो बाहर गांव में व्यवसाय होने से गांव में नहीं रहता है एवं कृषि कार्य नहीं करता है। लेकिन प्रतिवादी सं0 एक का मुख्य आजीविका का साधन ही कृषि ही है। इसलिए पारिवारिक समझौता अनुसार अपने हक हिस्से की जमीन जो पूर्णतः बजंर थी उसको काबिल काश्त बनवाया है एवं भूमि पर सिंचाई के साधन हेतु टूयूबवैल एवं मवेशियो को रखने के लिए निर्माण कार्य भी करवाया तथा वादी को पारिवारीक समझोते के अनुसार नगद दो लाख रूपये की जमीन के बाबत भी प्रतिवादी संख्या एक ने दिये थे लेकिन अब वादी के मन में बदनियती आ जाने से वह पारिवारिक समझोता के बदलने की गरज से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक पारिवारीक समझोता अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए वाद वर्णित कृषि आराजी का विभाजन पारिवारिक समझोता अनुसार किया जाना आवश्यक है। यह कि वादी यह वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया होने एवं वाद वर्णित कृषि आराजीयात मे से माल का कुंआ नामी जगह को प्रतिवादी संख्या एक के हक हिस्से में पारिवारीक समझोता में दिये जाने सेवादी का हक हिस्सा नहीं रह जाने से वाद वादी वादीधिकार के अभाव मे खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या एक का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]

Scanned by CamScanner

दावा पत्रावली में जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :

1. आया कि मौजा डेकडी खेडी प0ह0 राजगढ की आराजी संख्या 37, 45, 569, 584, 587, 596 किता–6 कुल रकबा 1.91 हैक्टर आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निहित हक हिस्सा 1/2–1/2 की घोषणा कराने एवं अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार विभाजन कराने तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के वादी अधिकारी है? वादी
2. आया कि वाद वर्णित आराजी के सम्बन्ध में आज से लगभग 10–11 वर्ष पूर्व वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य में एक लिखित पारिवारिक समझोता आपसी सहमति से निष्पादित किया गया था, जिस अनुसार कुंआ माल नामी समस्त जगह प्रतिवादी संख्या एक के हक हिस्से में रखी गई एवं खरडी वाला कुंआ नामी समस्त जगह वादी के हक हिस्से में रखी थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी काबिज होकर काश्त कर रहे है।प्रतिवादी ने अपनी भूमि को काबिल काश्त एवं मवेशियो के लिए जगह बनाई तथा सिंचाई के लिए ट्यूबवैल आदि लगा रखी है, वादी के मन में बदनियती आने से यह वाद प्रस्तुत किया है, आराजी का विभाजन समझोता अनुसार किया जाना आवश्यक है, वादी क्लीन हैण्ड से नहीं आया है समझोता अनुसार वादी का प्रतिवादी संख्या एक के हक हिस्से की आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं रह जाता है, वादी का वाद काबिल खारिज है? प्रतिवादी
3. दादरसी?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी जमनालाल के प्रस्तुत कर साक्ष्य पूर्ण कराई गई तथा प्रतिवादी भैरूलाल की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में शपथ पत्र भैरूलाल व गवाह रूपलाल के प्रस्तुत कर अपनी साक्ष्य पूर्ण कराई गई । पत्रावली में साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी की पूर्ण होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. तनकी नं0 1 का निर्णय :

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है जिन्होने दावा पत्रावली में नकल जमाबंदी सम्वत 2067–207 तक प्रस्तुत की है जो प्रदर्श– 1 है उक्त जमाबंदी में दर्ज खाता संख्या 68 की आराजी नं. कमशः 37, 45, 569, 584, 587, 596 रकबा कमशः 0.20 हैक्टर, 0.09 है., 0.83 है0, 0.11 है0, 0.48 है0, 0.20 है0 किता–6 रकबा कुल 1.91 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री भैरूलाल, जमनालाल पिता मांगीलाल ब्राम्हण सा.देह दर्ज होना पाया गया है जिससे सिद्ध होता है कि वर्णित आराजी में वादी जमनालाल का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी भैरूलाल का 1/2 हिस्सा है जो कि हिस्सा घोषित नहीं है। प्रदर्श– 2 मौजा डेकडीखेडा के आराजी नक्शाट्रेस आराजी का प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित आराजी की 1/2 हक से घोषणा चाहते हुए आराजी का विभाजन किया जाने का निवेदन किया है, पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा वर्णित आराजी के सम्बन्ध में लगभग 10–11 वर्ष पूर्व वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य में एक लिखित पारिवारिक समझोता आपसी सहमति से निष्पादित किया जाने का उल्लेख करते हुए कुंआ माल नामी समस्त जगह

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

----लगातार

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में होना का कथन अंकित किया है। साक्ष्य में 10/–रूपये के स्टाम्प पर लिखित पाबन्दी पत्र ईकारार नामा प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श–डी–1 है, लिखित पाबन्दी पत्र पर वादी जमनालाल शर्मा के हस्ताक्षर अंकित है तथा गवाह उदयलाल शर्मा एवं शम्भुलाल शर्मा के गवाह में हस्ताक्षर अंकित है। प्रतिवादी भैरूलाल के हस्ताक्षर उक्त पाबंदी पत्र पर अंकित नहीं है,उक्त स्टाम्प जमनालाल के नाम पर ही जारी हुआ है, उक्त लिखित दस्तावेज अपंजीकृत होकर प्रतिवादी भैरूलाल के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर न होने से न्यायालय में लिखित कथन को मानना न्यायसंगत प्रतीत नहीं है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अनुसार वादी वाद वर्णित आराजी में अपना हक हिस्सा 1/2 घोषित करवाने एवं 1/2 हक हिस्से से आराजी का विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। तनकी नं0 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2. तनकी नं0 2 का निर्णय :

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 पर है जिन्होने पत्रावली में अपनी साक्ष्य करते हुए प्रदर्श–डी–1 दस्तावेज लिखित पाबन्दी पत्र ईकरार नामा प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में विस्तृत निर्णय तनकी नं01 में किया जाकर उक्त लिखित पाबंदी पत्र अपंजीकृत होकर प्रतिवादी सं. 1 के हस्ताक्षर नहीं होने से न्यायालय में माना जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने का उल्लेख तनकी नं.1 में किया गया है, इस प्रकार प्रतिवादी अपने जवाबदावा के कथन को सिद्ध करा पाने में दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया असफल रहे है। अतः तनकी नं02 विरूद्ध प्रतिवादी सं01 बहक वादी निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकीयात बहस वादी सिद्ध होने से वाद वादी का स्वीकार किया जाकर वर्णित आराजी में वादी का 1/2 हक घोषित करते हुए आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किये जाने का आदेश दिया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी अ.धा. 53–88–188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा डेकडी खेडा पटवार मण्डल राजगढ की खाता संख्या 68 की आराजी नं. कमशः 37, 45, 569, 584, 587, 596 रकबा कमशः 0.20 हैक्टर, 0.09 है., 0.83 है0, 0.11 है0, 0.48 है0, 0.20 है0 किता–6 रकबा कुल 1.91 हैक्टर वादी जमनालाल व प्रतिवादी भैरूलाल का 1/2 – 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित है को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी मिट् एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की जाती है। तहसीलदार बेगूं को फर्द बंटवारा का प्रस्ताव, मय नक्शाट्रेस के साथ प्राथमिक डिकी भेजी जावे कि वह उक्त आराजी का फर्द बंटवारा बनाकर मय नक्शाट्रेस आगामी तारीख पेशी को न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

10/7/19

(रमेशसीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ

-----लगातार

Scanned by CamScanner

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 119/2011

जमनालाल पिता मांगीलाल जी ब्राम्हण निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल ब्रामहण निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
2. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय भारद्वाज की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री बी.के. भट्ट की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53–88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 10.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी अ.धा. 53–88–188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा डेकडी खेडा पटवार मण्डल राजगढ की खाता संख्या 68 की आराजी नं. क्रमशः 37, 45, 569, 584, 587, 596 रकबा क्रमशः 0.20 हैक्टर, 0.09 है., 0.83 है0, 0.11 है0, 0.48 है0, 0.20 है0 किता–6 रकबा कुल 1.91 हैक्टर वादी जमनालाल व प्रतिवादी भैरूलाल का 1/2 – 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित है को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी मिट् एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार बेगूँ को फर्द बंटवारा का प्रस्ताव, मय नक्शाट्रेस के साथ प्राथमिक डिक्री भेजी जावे कि वह उक्त आराजी का फर्द बंटवारा बनाकर मय नक्शाट्रेस आगामी तारीख पेशी को न्यायालय में पेश करें।

प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

10/7/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner